

प्रेषक,

मोनिका ठाकुर,  
अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय संख्या-2, आगरा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा :

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश महोदय,  
आगरा।

विषय:-

पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 9792 / VIIb -104 / Admin D Section Dated 19.07.2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं0 20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रही हूं।

श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 30/07/24

भवदीया,

*Monika Thakur*  
(मोनिका ठाकुर) 30/7/2024.

अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय सं0-2, आगरा।

J.O. No. UP 6185

संलग्नक:-

शासनादेश सं014 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024

दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं0 20 / 2024 / सा-3-276

/ दस-2024 / 301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

Letter No. 182, Date. 30/07/24

FORWARDED

Principal Judge Family Court  
AGRA



शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई

2024 का संलग्नक :-

विकल्प पत्र

- |  |   |
|--|---|
| 1. नाम   | मोनिका ठाकुर  |
| 2. वर्तमान पदनाम   | अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा   |
| 3. वेतनमान   | 183490-194660   |
| 4. वर्तमान विभाग का नाम  | न्याय विभाग   |
| 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम | उ0प्र0 लोक सेवा आयोग  |
| 6. विज्ञप्ति की तिथि   | 15, नवम्बर 2003<br>(विज्ञापन सं0 A-2/E-1/2003)<br>(प्रकाशित 22-28, नवम्बर, 2003<br>रोजगार समाचार) |
| 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि   | 26.05.2006<br>उ.प्र. भासन नियुक्ति अनुभाग-4<br>(सं. 2430/दो-4-06- 32(1)/2001<br>टीसी-1)           |
| 8. योगदान की तिथि  | 14.06.2006  |
| 9. जन्मतिथि  | 01.07.1973  |
| 10. सेवा निवृत्ति की तिथि  | 30.06.2033  |

मैं मोनिका ठाकुर पत्नी श्री राजेश कुमार मणि शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/ दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

*Leoniya Thakur*  
30/7/2024.  
(मोनिका ठाकुर)

अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय सं0-2, आगरा।

घोषणा पत्र

मैं मोनिका ठाकुर, पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

*Leoniya Thakur*  
30/7/2024.  
(मोनिका ठाकुर)

अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय सं0-2, आगरा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती मोनिका ठाकुर, पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

*[Signature]*  
30/7/24  
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, आगरा